(57)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4356–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–9–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 330/अपील/2012–13.

शंकरलाल पिता भागीरथ (पूर्व कोटवार)
निवासी ग्राम अजनोटी
तहसील घट्टिया जिला उज्जैन .....आवेदक

विरूद्ध

1– ग्राम पंचायत नागपुरा, तहसील घट्टिया
द्वारा सरपंच पार्वती बाई पति बाबूलाल
ग्राम पंचायत नागपुरा
तहसील घट्टिया जिला उज्जैन
2– आशाराम पिता नंदकिशोर (वर्तमान कोटवार)
निवासी ग्राम अजनोटी
3– म0प्र0 शासन द्वारा
अनुविभागीय अधिकारी, घट्टिया जिला उज्जैन .....अनावेदकगण

श्री एस.एन. ब्यास, अभिभाषक, आवेदक
श्री व्ही.एस. सिसौदिया, अभिभाषक, अनावेदक क. 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/1/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–9–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि राजेंद्र सिंह द्वारा दिनांक 23–8–2011 को जनसुनवाई में कलेक्टर, उज्जैन के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम अजनोटी का चौकीदार आवेदक शंकरलाल दो माह से फरार है, और वह पूरे गॉव में आतंक फैलाना शुरू कर दिया है तथा ग्राम में चंदन के पेड़ चोरी से कटवा रहा है, और

रात्रि में गश्त भी नहीं कर रहा है । उक्त आवेदन पत्र कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, घट्टिया जिला उज्जैन को परीक्षण कर कार्यवाही करने हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन पत्र तहसीलदार, घट्टिया को अंतरित किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ–56/2010–11 दर्ज कर दिनांक 31–10–2011 को आदेश पारित कर आवेदक को कोटवार पद से पृथक किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, घट्टिया जिला उज्जैन के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर 21–8–2012 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर आवेदक को पुनः कोटवार के पद पर नियमानुसार नियुक्त किये जाने के निर्देश तहसीलदार को दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 23–9–2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुए तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को बिना जॉच किये हटाया गया है, जबकि नियमानुसार आवेदक के विरूद्ध जॉच की जाकर उस पर आरोप प्रमाणित किया जाना चाहिए था । यह भी कहा गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए था, परन्तु तहसीलदार द्वारा आवेदक को बिना सुनवाई का अवसर दिये, उसे कोटवार पद से हटाये जाने का आदेश पारित किया गया है, जो अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही है ।

तर्कों के समर्थन में 2003 आर.एन. 448, 2010 आर.एन. 312, 2000 आर.एन. 259, के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ प्रत्युत्तर में अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के विरूद्ध तहसीलदार द्वारा विधिवत जॉच की जाकर आरोपों को प्रमाणित पाया गया है, अतः तहसीलदार उसे कोटवार पद से पृथक करने के आदेश देने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा पटवारी से जॉच कराई गई है, और आवेदक दो माह से गायब होने संबंधी प्रतिवेदन

पटवारी द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत जॉच की जाकर आवेदक को सुनवाई का अवसर देते हुए आदेश पारित किया गया है, जिसे स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत विस्तृत जॉच करते हुए स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक द्वारा कोटवार पद के कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया जाता है, और वह ग्राम से फरार है । अतः तहसीलदार द्वारा आवेदक को कोटवार पद से पृथक करने का आदेश पारित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के विधिसंगत आदेश को निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने का कारण अपने आदेश में उल्लेख नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अति संक्षिप्त प्रकृति का आदेश पारित किया गया है, जो कि बोलता हुआ आदेश की परिधि में नहीं आता है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया गया है कि आवेदक लकवाग्रस्त था, परन्तु प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि आवेदक लकवाग्रस्त था । स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है, अतः अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा पूर्णतः वैधानिक एवं औचित्यपूर्ण कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–9–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर